नम्बर व ... अहकाम जो ... की तारीख में ...

(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या— 139/2022 दायरा दिनांक 30.12.2022 GCMS CASE NO-2023/1239

1. अर्जनराम पुत्र ईमीचन्द जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. मैनपाल पुत्र आशाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. भागीरथ पुत्र लेखराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र सोहनलाल जाति सांसी साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़
2. मनीराम पुत्र सोहनलाल जाति सांसी साकिन करनीसर तहसील सूरतगढ़
3. कमला पत्नी सतगुरू प्रसाद जाति खटीक साकिन गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
5. उप पंजीयक राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—
1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अमित कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

—:: निर्णय ::— दिनांक : 11 .12.2024

प्रकरण में संक्षेप में इस प्रकार है कि गॉव बीरमाना की आबादी के पुर्व साईड मे आबादी से करीब 1 किमी दुर राजियासर से श्रीविजयनगर को जाने वाली पक्की सड़क से दक्षिण मे चिपती रोही बीरमाना व चक एक बी एन एम के रकबा से चिपता करीब 102.10 बीघा रकबा है, जिसमे से करीब 2.10 बीघा रकबा मे गॉव के लोगो ने पिछले 40—50 वर्षो से भभुतासिध,नख्तबन्नाजी महाराज का मन्दिर कई लाखो रूपये खर्चा करके करीब 35—40 फुट उचाई मे बना रखा है, जिसमें जागरण लगाने, यात्रियो को ठहरने व रात्री विश्राम हेतु धर्मशाला बनाकर अनेको कमरे, रसोई घर व मन्दिर मे पानी की डिग्गी व मन्दिर की चार दिवारी व मन्दिर मे बनाये हूऐ है। तथा 100 बीघा रकबा गॉव की गौशाला हेतु गोचर है जिसमें गाय गोधे बच्छड़े चरते है। यह रकबा ना तो गॉव बीरमाना के राजस्व नक्शा मे दर्ज है व ना चक बन्दी के चक 1 बी एन एम के नक्शा मे दर्ज है। यह रकबा कौनसे खसरे का है इत्यादि भी दर्ज नही हैं। यानी राजस्व नक्शा मे कही भी यह रकबा दर्ज नही है। गॉव बीरमाना बसने के समय से ही यह रकबा गोचर व मन्दिर के उपयोग मे आ रहा है तथा बीरमाना हरिसिहपुरा गॉव व आड़ोस पड़ोस के अनेको गॉवो व चको के लोगो की आस्था का केन्द्र यह मन्दिर है। अप्रार्थी संख्या 01 गिरधारी ने अपने नाम रोही बीरमाना के खसरा न 465/8 का 28.14 बीघा व खसरा न 471/4 का 8.05 बीघा व खसरा न 471/7 का 12बीघा इस प्रकार 48.19 बीघा रकबा का टी.सी. ऑवटी दर्शा कर बिना कब्जा के ही ऑवटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ से जरिये पत्रावली 497/97 बअनवानी गिरधारी बनाम सरकार मे दिनांक 28.02.1997 को पुख्ता ऑवटन करवा लिया व रोही बीरमाना के डी—कॉलोनी होने पर राजस्व कर्मियो व तहसीलदार सूरतगढ से सॉठ गॉठ करके उपरोक्त रकबा मे से ग्राम बीरमाना बारानी के खसरा न 465/8 के 6.249 हैक व खसरा न 471/4 मे 2.087 हैक व खसरा न 471/7 मे 3.036 हैक इस प्रकार कुल 11.372 हैक रकबा के पत्रावली न 1136/2008 को दिनांक 27.08.2009 को राजस्थान भु—राजस्व नियम 1970 के नियम 18 अनुसूची (11) ... खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी न 2 मनीराम ने अपने नाम रोही बीरमाना के खसरा न 465/6 का 03.00 बीघा व खसरा न 465/8 का 46.00 बीघा इस प्रकार 49.00 बीघा ... टी.सी. ऑवटी दर्शा कर बिना कब्जा के ही अपने आप को ऑवटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ से पत्रावली न 496/97 दिनांक 28.02.1997 को बिना कब्जा के ही पुख्ता ऑवटन करवा लिया व रोही बीरमाना के डी—कॉलोनी होने पर राजस्व कर्मियो से व तहसीलदार सूरतगढ से सॉठ गॉठ करके बिना कब्जे के ही उपरोक्त रकबा मे से ग्राम बीरमाना बारानी के खसरा न 465/6 के .759 हैक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 14:22:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1098

Scanned with OKEN Scanner

खसरा न 465/8 मे 11.638 हैक इस प्रकार कुल 12.397 हैक रकबा के पत्रावली न 1136/2008 दिनांक 02.08.2008 को राजस्थान भु–राजस्व नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक (11) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदारी प्राप्ति उपरांत उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर दिया, जिसका भी कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थिया न 3 आज से पांच माह पुर्व भी मन्दिर व गोचर के रकबा को रोही बीरमाना के खसरा न 465/8 का रकबा मान कर कब्जा करने की कोशिश की उस समय गॉव आस पास गॉव के लोगो ने इस रकबा पर कब्जा करने से बचाया। ण न. 1 ता 2 टी.सी. का ऑवटन भी गैर कानुनी रूप से सलाहकार समिति की राय के बिना हुई थी इस रकबा का टी.सी.ऑवटन के समय कोई कमेटी का गठन नही किया था व ना कमेटी के सदस्यो का सलाह मुशविरा किया जबकि राजस्थान उपनिवे ान (अस्थायी का त लीज) नियम 1955 विहित विधिक प्रावधानो के अनुसार " टी0सी0 ऑवटन सलाहकार समिति की राय से किया जावेगा " व जब मुल टी0सी0 ऑवटन ही क्षेत्राधिकार विहिन है तो पुख्ता ऑवटन व खातेदारी अधिकार प्रथम दृश्टया ही निरस्ती के है। अप्रार्थीगण को उक्त रकबा कभी भी टी.सी. ऑवटन का नवीनीकरण ही नही रहा टी सी ऑवटन के ध चात अप्रार्थीगण न 1 व 2 को कब्जा कहॉ दिया गया या अप्रार्थी न 1 का खसरा न 465/8 मे कहॉ तरमीम है व अप्रार्थी न 2 का रकबा कहॉ तरमीम है इत्यादि बिना रकबा के सम्भव नही है तथा बिना कब्जा के टी.सी.ऑवटन नही हो सकता व ना ही नवीनीकरण हो सकता इसलिये सरकार के साथ धोखा धडी करके उक्त रकबा का पुख्ता व खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है इस प्रकार जब अप्रार्थीगण के नाम टी0सी0 ऑवटन ही शुरू से क्षैत्राधिकार विहिन है तो पुख्ता आवटन ही काबिल निरस्ती के है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी वे आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कुमार हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्य एवं मेरे प्रार्थना पत्र को सिद्व करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर प्रकरा रकबा अप्रार्थी संख्या 1 गिरधारी एवं अप्रार्थी संख्या 2 मनीराम को सन 1997 में टीसी हुआ था उसके पश्चात कब्जा के आधार पर उनको पुख्ता आवंटन किया गया एवं सन 2008 में रकबा रकबा के खातेदारी अधिकार जारी किये गये। अलॉटमेंट को काफी अर्सा गुजर जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त रकबा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मुझ अप्रार्थी संख्या 03 को बेचान कर दिया। जैर प्रकरण भूमि पर मुझ अप्रार्थी संख्या 03 स्वयं द्वारा मन्दिर बनाया गया था जिसमें दो कमरे, लेटबाथ, रसोई बनाई गई थी। उक्त भूमि गौशाला हेतु रिजर्व नही थी और ना ही उक्त भूमि मन्दिर मूर्ति की थी एव ना ही भूमि रिकार्ड में कभी गोचर दर्ज हुई। रकबा डी– कॉलोनी की नही थी इसलिए नियमानुसार आवंटन एवं खातेदारी तथा विक्रय किया गया था। आज उक्त भूमि रिकार्ड में मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज है। मौका पर मुझ अप्रार्थी संख्या 03 का कब्जा है। आवंटन के इतने वर्षो बाद महज मुझ अप्रार्थी संख्या 03 को परेशान करने एवं रकबा हडपने की कार्यवाही करने के लिए यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस संबंध में कई फौजदारी मुकदमे प्रार्थीयान के खिलाफ चल रहे है। भूमि की गिरदावरी मुझ अप्रार्थी संख्या 03 के नाम है। प्रकरण के अन्तर्गत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 की बनी रिहायशी ढाणी व सौर ऊर्जा पम्पसेट आदि को तोडने की कार्यवाही प्रार्थीयान द्वारा की गई थी जिसके पुलिस केस चल रहे है। इसी प्रकरण में अनुसूचित जाति पर किये जा रहे अत्याचार की जांच भी राष्ट्रीय आयोग सेडयूल कास्ट में की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में भी रिट दायर की गई है। जिसमें राजस्थान स्टेट व जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर पक्षकार है, जिसमें इस भूमि की तमाम रिपोर्ट मांगी गई है। अतः महज एक शिकायत के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 की खातेदारी भूमि को निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस के पक्ष में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2017 पेज 27, आरबीजे 2020 पेज 765, आरबीजे 2020 पेज 648, आरबीजे 2023 पेज 315, आरबीजे 2023 पेज 44, आरआरडी [illegible] 1994 पे 595, आरआरडी 1994 पेज 205, आरआरडी 1991 पेज 385, आरआरडी [illegible] 175, आरआरडी 1995 पेज 500, डीएनजे 2017 रेव्न्यू पेज 145,डीएनजे 2018 (2), रेवन्यू [illegible] 726 [illegible] किये।

हमने उभय पक्ष की बहस [illegible] किया तथा [illegible] ली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी [illegible] को सन 1997 में टीसी आवंटन होना तत्पश्चात पुख्ता आवंटन होना सन 2008 में उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार जारी होना साबित है। पुख्ता आवंटन से खातेदारी की कार्यवाही [illegible] दौरान भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त ना होने संबंधी तथ्य सामने नहीं आये तथा ना ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता। शिकातकर्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये जिससे शिकायत की पुष्ठि हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.12.2022 द्वारा जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner